प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है।इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 का खाता मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि:– मुताबिक राजीनामा वादीगण का चक 3 आई.डी.जी. खाता स 66/60 मे 2.213 हैक्टेयर व चक 5 आई.डी.जी. के खाता स 115/104 में 1.382 हैक्टेयर का ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर मुताबिक राजीनामा मे वर्णित भूमि अनुसार खाता विभाजन किया जाकर इसी अनुसार उक्त खातो से प्रतिवादी स 1 ता 3 का ब.हि.ब हिस्सा बढाया/घटाया जाता है एव चक न 4 आई.डी.जी खाता स 85/76 मे प्रतिवादी स 1 ता 3 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से वादीगण का नाम कलमजन किया जाता है एव वादीगण को आवागमान हेतु पहुंच देने के लिये मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के कब्जा काश्त चक 5 आई.डी.जी. के पत्थर नम्बर 140/120 (3) के किला नम्बर 23 में पूर्वी सिरे पर उतर से दक्षिण 0.005 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 140/121 (4) के किला नम्बर 3 में पूर्वी सिरे पर उतर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर व किला नम्बर 8 में पूर्वी सिरे पर उतर से दक्षिण 0.012 हैक्टेयर कुल 0.030 हैक्टेयर कुल 0.030 हैक्टेयर को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जाता है।

राजीनामा मे वर्णित वादीगण की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

(क)चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 66/60 तह. संगरिया:–

पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर	तादादी
139/120	(51)	6, 15 से 19, 22/.114, 23/.089, 24/.076, 25/.063,	1.860 है. मुमकिन
140/120	(50)	1/0.085 पश्चिमी,10/.085 पश्चिमी, 11/.085 पश्चिमी, 20/.085 पश्चिमी, 21/.013	0.353 है. मुमकिन
		कुलः–	2.213 है. मुमकिन

(ब) चक 5 आई.डी.जी. खाता स. 115/104 तहसील संगरिया:–

पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर	तादादी
139/121	(51)	15–16	0.506 है
140/121	(4)	8/.059, दक्षिणी, 9/.059 दक्षिणी, 11–12–20/0.[illegible]	[illegible]
		कुलः–	1.382 है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:59:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 5.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीणा)

फरमाये जावे। (ग) कि मुताबिक घोषणा वादीगण का चक 3 आई.डी.जी व चक 5 आई.जी जी. मे निम्नलिखित अनुसार खाता विभाजन की ब.हि.ब की अंतिम डिक्री प्रदत फरमाई जावे–

(क)चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं 66/60 तह संगरिया

पत्थर नम्बर	मु0न0	किला नम्बर	तादादी
139/120	(51)	6, 15 से 19, 22/.114, 23/.089, 24/.076, 25/.063,	1.860 है. मुमकिन
140/120	(50)	1/0.085 पश्चिमी,10/.085 पश्चिमी, 11/.085 पश्चिमी, 20/.085 पश्चिमी, 21/.013	0.353 है. मुमकिन
		कुल–	2.213 है. मुमकिन

(ब) चक 5 आई.डी.जी. खाता सं. 115/104 तहसील संगरिया

पत्थर नम्बर	मु0न0	किला नम्बर	तादादी
139/121	(51)	6/.059 दक्षिणी, 15–16	0.565 है
140/121	(4)	10/.058 दक्षिणी, 11–12–20	0.817 है
		कुल:–	1.382 है
		आड मे आई भूमि कम करने पर:–	0.039 है.
		शेष:–	1.343 है.
		कुल तादादी:–	3.556 है.

चूंकि वादीगण की भूमि बैंक के अधिभारित नहीं है। इसलिए वादीगण के विभाजित हिस्सा का खाता विभाजन अलग किये जाने के प्रतिवादी संख्या 4 को आदेश फरमाये जावे व रहन का इन्द्राज प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 के शेष 3/4 हिस्सा पर रखा जावे। (घ) कि रास्ता की सुविधा हेतु चक 5 आई.डी.जी. के पत्थर नम्बर 140/120 (3) के किला नम्बर 23 मे पूर्वी सिरे पर उत्तर से दक्षिण 0.005 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 140/121 (4) के किला नम्बर 3 में पूर्वी सिरे पर उत्तर से दक्षिण 0.013 हैक्टयर व किला नम्बर 8 में पूर्वी सिरे पर उत्तर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर व दक्षिणी सिरे पर पूर्व से पश्चिम 0.012 हैक्टेयर कुल 0.025 हैक्टेयर व किला नम्बर 9 में दक्षिणी–पूर्वी कोना पर 0.0006 हैक्टेयर कुल 0.0436 हैक्टेयर अर्थात 0.044 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजि.डाक तलब किया गया। प्रतिवादी स 5 व 6 द्वारा हाजीर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादीगण व प्रतिवादी.स 1 ता 3 ने हाजिर अदालत आकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी.सं. 4 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम न कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर प्रदान किया गया वकील उभयपक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते इस लिए साक्ष्य वादी व प्रतिवादी बंद किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक राजीनामा मिकरान/वादीगण का [illegible] आई.डी.जी. में 2.213 हैक्टेयर व चक 5 आई.डी.जी. में 1.382 हैक्टेयर का ब.हि.ब. खाता विभाजन की डिक्री प्रदत किये जाने में मिकरान/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सहमत है [illegible] उक्त भूमि का खाता विभाजन होने के उपरान्त शेष भूमि मिकरान/प्रतिवादीगण संख्या [illegible] 3 की ब.हि.ब. रहेगी वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 3 का वाद [illegible] किया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने वकील वादीगण के कथनो का विरोध नही करते [illegible] मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 3 राजीनामा के आधार पर वाद पत्र को डिकी करने हेतू निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आराजी के सह–काश्तकार है। वादीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 11:59:1
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है।इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 का खाता मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि:– मुताबिक राजीनामा वादीगण का चक 3 आई.डी.जी. खाता स 66/60 मे 2.213 हैक्टेयर व चक 5 आई.डी.जी. के खाता स 115/104 में 1.382 हैक्टेयर का ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित कर मुताबिक राजीनामा मे वर्णित भूमि अनुसार खाता विभाजन किया जाकर इसी अनुसार उक्त खातो से प्रतिवादी स 1 ता 3 का ब.हि.ब हिस्सा बढाया/घटाया जाता है एव चक न 4 आई.डी.जी खाता स 85/76 मे प्रतिवादी स 1 ता 3 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से वादीगण का नाम कलमजन किया जाता है एव वादीगण को आवागमान हेतु पहुंच देने के लिये मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के कब्जा काश्त चक 5 आई.डी.जी. के पत्थर नम्बर 140/120 (3) के किला नम्बर 23 में पूर्वी सिरे पर उतर से दक्षिण 0.005 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 140/121 (4) के किला नम्बर 3 में पूर्वी सिरे पर उतर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर व किला नम्बर 8 में पूर्वी सिरे पर उतर से दक्षिण 0.012 हैक्टेयर कुल 0.030 हैक्टेयर कुल 0.030 हैक्टेयर को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जाता है।

राजीनामा मे वर्णित वादीगण की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

(क)चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 66/60 तह. संगरिया–

पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर	तादादी
139/120	(51)	6, 15 से 19, 22/.114, 23/.089, 24/.076, 25/.063,	1.860 है. मुमकिन
140/120	(50)	1/0.085 पश्चिमी,10/.085 पश्चिमी, 11/.085 पश्चिमी, 20/.085 पश्चिमी, 21/.013	0.353 है. मुमकिन
		कुल:–	2.213 है. मुमकिन

(ब) चक 5 आई.डी.जी. खाता स. 115/104 तहसील सगरिया–

पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर	तादादी
139/121	(51)	15–16	0.506 है
140/121	(4)	8/.059, दक्षिणी, 9/.059 दक्षिणी,	11–12–20/0.253 प्रे.
		कुल:–	[illegible] है

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेंगे। राजीनामा निर्णय का भाग [illegible]।
निर्णय आज दिनांक 5.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:59:12 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)
प्रकरण सख्या – 41 / 2021
वाद पत्र अ.धारा :– 88 / 53 आरटीए

1. चन्द्रकिरण धर्मपत्नि स्व0 श्री रघुवीर आयु–50 वर्ष, अकवाम मेघवाल, निवासीगण मालारामपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ
2. कर्णवीर पुत्र स्व0 श्री रघुवीर, आयु–23 वर्ष अकवाम मेघवाल, निवासीगण मालारामपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र
2. शिवशंकर
3. निहालचन्द

पिसरान स्व0 श्री हेतराम, अकवाम मेघवाल निवासीगण मालारामपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ

4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ
5. आर.एम.जी.बी. शाखा नुकेरा, जरिये शाखा प्रबन्धक, नुकेरा, तहसील संगरिया, जिला हनु0
6. आर.एम.जी.बी. शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक नुकेरा,तहसील सगरिया, जिला हनु0

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 05 / 08 / 2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री लालचन्द वर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री राजेश बुडानिया वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है :– मुताबिक राजीनामा वादीगण का चक 3 आई.डी.जी. खाता स 66 / 60 में 2.213 हैक्टेयर व चक 5 आई.डी.जी. के खाता स 115 / 104 में 1.382 हैक्टेयर का ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित कर मुताबिक राजीनामा मे वर्णित भूमि अनुसार खाता विभाजन किया जाकर इसी अनुसार उक्त खातो से प्रतिवादी स 1 ता 3 का ब.हि.ब हिस्सा बढाया / घटाया जाता है एव चक न 4 आई.डी.जी खाता स 85 / 76 मे प्रतिवादी स 1 ता 3 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से वादीगण का नाम कलमजन किया जाता है एव वादीगण को आवागमान हेतु पहुंच देने के लिये मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के कब्जा काश्त चक 5 आई.डी.जी. के पत्थर नम्बर 140 / 120 (3) के किला नम्बर 23 में पूर्वी सिरे पर उतर से दक्षिण 0.005 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 140 / 121 (4) के किला नम्बर 3 में पूर्वी सिरे पर उतर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर व किला नम्बर 8 में पूर्वी सिरे पर उतर से दक्षिण 0.012 हैक्टेयर कुल 0.030 हैक्टेयर कुल 0 030 हैक्टेयर को गैर मुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज किया जाता ... राजीनामा मे वर्णित वादीगण की भूमि का विवरण निम्न प्रकार ...

(क)चक 3 आई.डी.जी के खाता सं 66 / 60 ... संगरिया:–

पत्थर नम्बर	मु0न0	किला नम्बर	
139 / 120	(51)	6, 15 से 19, 22 / .114, 23 / .089, 24 / .076, 25 / .063,	1.860 है.मुमकिन
140 / 120	(50)	1 / 0.085 पश्चिमी,10 / .085 पश्चिमी, 11 / .085 पश्चिमी, 20 / .085 पश्चिमी, 21 / .013	0.353 है. मुमकिन
			कुल:– 2.213 है. मुमकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:59:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

(ब) चक 5 आई.डी.जी. खाता सं. 115/104 तहसील संगरिया:-

पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर	तादादी
139/121	(51)	15-16	0.506 है
140/121	(4)	8/.059, दक्षिणी, 9/.059 दक्षिणी, 11-12-20/0.253 प्रे	
		कुलः-	1.382 है

राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे
नोटः- बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।
निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....X.... अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....05.8.2024.... जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:59:12 IST
Reason: SelfAttested